न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 73/2024 GCMS No.—2024/60

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री लादूराम जाति मीणा, निवासी ग्राम नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
2. श्रीमति दाफा पत्नि श्री रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. पूरणमल पुत्र कानाराम जाति मीणा निवासी 92, भगवान विहार, गोनेर रोड, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

.............रेस्पाडेन्टस

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते * जयपुर *

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार आंधी द्वारा प्रकरण संख्या 23/103 पर पारित आदेश दिनांक 08.01.2024

———————

उपस्थितः–

1. श्री मनीष पारीक अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 01.08.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, आंधी के आदेश कमांक/भू.अ./23/103 दिनांक 08.01.2024 पारित किये से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.05.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पा0 संख्या 1 को रजि0 नोटिस जारी किये गये एवं रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। रेस्पाडेन्ट संख्या 2की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

5.4.01 1/8/24 अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व मौके की सबूत साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किये है इसलिए अपीलाधीन निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम खेडावास नेवर तहसील आंधी स्थित आराजी खसरा नंबर 378/514 रकबा 0.7587 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार अपीलांट है। अन्य दीगर व्यक्तियों का इस आराजीयात से कोई संबंध व ताल्लुक नहीं है। अपीलांट की कब्जे काश्त की आराजीयात के लगती हुई आराजीयात खसरा नंबर 378/494 रकबा 3.4145 हैक्टेयर भूमि रेस्पा0 संख्या 1 के नाम है। इस सम्पूर्ण आराजीयात पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पालनार्थ हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात

खसरा नंबर 378/514 को रेस्पा0 संख्या 1 की आराजीयात खसरा नंबर 378/494 में सम्मिलित करते हुए नक्शे में तरमीम कर दी गई तथा अपीलांट की आराजीयात को पडोसी रामस्वरूप वगैरह की कब्जे काश्त व खातेदारी खसरा नंबर 540/378 में सम्मिलित करते हुये नक्शे में तरमीम कर दी गई है। जबकि पडोसी रामस्वरूप की कब्जे काश्त की आराजीयात में एक कमरा व कुंवे का निर्माण हो रहा है तथा उसमें बिजली का कनेक्शन खातेदार के नाम लगा हुआ जबकि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय को नक्शे में तरमीम करने व एक दूसरे की आराजीयात को अदल–बदल करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। अपीलांट की खातेदारी भूमि के संबंध में किसी भी सक्षम न्यायालय में नक्शे में सीमा तरमीम करने या नियमित वाद या किसी भी आशय का प्रार्थना पत्र रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नहीं कर रखा है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र हल्का पटवारी एवं तथाकथित जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 को आधार मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आंधी द्वारा प्रकरण संख्या 23/103 पर पारित आदेश दिनांक 08.01.2024 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें जिससे अपीलांट को उचित न्याय मिल सके व अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात से महरूम ना हो सके।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में नियमानुसार आदेश पारित किया है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। न्यायहित में अपील अपीलांट अन्दर मियाद मानी जाती है। पत्रावली का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आंधी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.01.2024 को खसरा नंबर 378/494 रकबा 3.41 है0 का इन्द्राज वर्तमान ऑनलाईन जमाबन्दी व नक्शा में नियमानुसार करने के आदेश पारित किये गये। अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश के संबंध में उज्र पेश किया गया है कि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट भी अपनी खातेदारी भूमि से प्रभावित होते है एवं अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 7 अनुसार खसरा नंबर 378/494 का जमाबन्दी नक्शा में अमल होने से ऑनलाईन नक्शा में आराजी खसरा नंबर 378/512, 378/513, 375/514, 378/507, 378/493, 540/378, 541/378 की तरमीम भी संलग्न नजरी

नक्शानुसार प्रभावित होगी। अपीलांट खसरा नंबर 378/514 के खातेदार काश्तकार है एवं पटवारी व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार आंधी के अपीलाधीन आदेश से अपीलांट भी प्रभावित होते है। इसलिए प्रभावित होने वाले खातेदार/काश्तकारों को भी अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार आंधी का आदेश कमांक/भू.अ./23/103 दिनांक 08.01.2024 बाबत खसरा नंबर 378/494 वाके ग्राम खेडावास नेवर, तहसील आंधी निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, आंधी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) किया जाता है कि वह उभयपक्षकारान को, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर एवं गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

1.8.24

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर